एआरओ पांडे के घर मिली सोने की ईंट

80 लाख की आय के मुकाबले 4 .59 करोड़ का व्यय

60 लाख के आभूषण और 1 .13 करोड़ की कृषि जमीन भी मिली

नवभारत न्यूज

इंदौर, 14 अगस्त. नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडेय के घर और छात्रावास पर लोकायुक्त की सर्च में सोने की ईंट मिलने की जानकारी सामने आई है.

तलाशी में अब तक 80 लाख रुपए की आय के मुकाबले 4 करोड़ 59 लाख 87 हजार 491 रुपए का अनुपातहीन व्यय पाया गया है. यह कुल आय का 474.84 प्रतिशत है. इसके अलावा 60.48 लाख रुपए के सोने के आभूषण, 4.07 लाख रुपए की चांदी और करीब 1.13 करोड़ रुपए कीमत की दो कृषि जमीन भी मिली हैं.

लोकायुक्त की जांच में पांडेय के घर से 60 लाख 23 हजार 110 रुपए के घरेलू सामान की सूची तैयार की है. वहीं सोने के आभूषणों का मूल्य 60 लाख 48 हजार 653 रुपए और चांदी के आभूषणों का मूल्य 4 लाख 7 हजार 392 रुपए आंका है. तलाशी में 2 लाख 33 हजार 20 रुपए नकद मिले हैं, जबकि बैंक खातों में 7 लाख 32 हजार 616 रुपए का बैलेंस पाया. जांच में भूमि और भवन निर्माण पर 1.20 करोड़ रुपए खर्च होने का आकलन है. इसके अलावा पत्नी के नाम छात्रावास पर 91.50 लाख रुपए खर्च और वहां रखे सामान की कीमत 1 लाख 6 हजार 700 रुपए आंकी गई है.

लोकायुक्त को ग्राम मुंडला दोस्दार, तहसील बिचौली हप्सी में 1.279 हेक्टेयर कृषि भूमि मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत 81.86 लाख रुपए बताई गई है. इसी क्षेत्र में मुख्य मार्ग से लगी 13,500 वर्गफीट कृषि भूमि की अनुमानित कीमत 31 लाख रुपए आंकी गई है. लोकायुक्त द्वारा दी गई अधिकृत जानकारी के अनुसार अभी तक की सर्च में सामने आए इन सभी संपत्ति और व्यय के आंकड़ों को जोड़ने पर 4,59,87,491 रुपए का अनुपातहीन व्यय सामने आया है. यह पांडेय की अनुमानित 80 लाख रुपए की आय की तुलना में 474.84 प्रतिशत है. संपत्तियों और दस्तावेजों का सत्यापन आगे भी जारी है. पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त इंदौर, राजेश सहाय ने नव भारत को बताया कि अभी तक की जांच में करीब 80 लाख रुपए की आय की तुलना में 4,59,87,491 रुपए का अनुपातहीन व्यय पाया गया है, यह 474.84 प्रतिशत अनुपातहीन संपत्ति है. सर्च में मिली संपत्तियों और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है.

नामांतरण घोटाले में पहले भी निलंबित हुआ था पांडेय...

जितेंद्र कुमार पांडेय पूर्व में नगर निगम के नामांतरण घोटाले में निलंबित हो चुका है. जोन 3 में पदस्थ रहते हुए शिवविलास पैलेस के पास एक मकान का फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण किए जाने का मामला सामने आया था. मकान मालिक मुंबई में रहता था और इंदौर आने पर संपत्ति कर जमा करता था. निगम पहुंचने पर उसे पता चला कि संपत्ति उसके नाम पर नहीं है. जांच में फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण की पुष्टि के बाद पांडेय को निलंबित किया था. बाद में वह नेहरू स्टेडियम का प्रभारी रहा और संगम नगर तथा जोन 6 सुभाष नगर में सहायक राजस्व अधिकारी के रूप में पदस्थ रहा.

मैनिट में एनआरआई छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू

भोपाल, 14 अगस्त मैनिट में विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्रों (एनआरआई), विदेशी नागरिकों और खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों के बच्चों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दासा (डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स एब्रॉड) कोटे के तहत बीटेक, बीआर्क, बीप्लान और डुअल डिग्री पाठ्यक्रमों में चयनित विद्यार्थियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों को 16 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक मैनिट कैंपस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। यह प्रक्रिया मैनिट परिसर में स्थित लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को अपने साथ प्रिंटेड एडमिशन फॉर्म, फीस रसीद, सभी जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य है.

सरकारी स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा का खाका तैयार

7 से 17 सितंबर के बीच होंगी 9वीं से 12वीं की तिमाही परीक्षा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 14 अगस्त मप्र के सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए परीक्षा की समय सारणी, प्रश्नपत्र निर्माण और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिन विषयों का शेड्यूल में जिक्र नहीं है, उनकी परीक्षाएं स्कूल स्तर पर 7 से 17 सितंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी।

कक्षा 9वीं के पर्चे में आधा हिस्सा ब्रिज कोर्स से होगा- विभाग ने कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को राहत देते हुए प्रश्नपत्र के कुल अंकों में से 50 प्रतिशत प्रश्न ब्रिज कोर्स से पूछे जाएंगे। अंग्रेजी और गणित विषय में स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों वर्गों के लिए एक ही समान प्रश्नपत्र तैयार किया जाएगा। व्यावसायिक और अन्य विषयों के पर्चे अगस्त 2026 तक के स्वीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर बनेंगे।

परीक्षा की पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी 21 अगस्त को विमर्श पोर्टल पर अपलोड होने वाले ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नपत्र तैयार कराएंगे।

भोपाल में पहली बार महिलाओं की कांवड़ यात्रा

भोपाल, 14 अगस्त. राजधानी में महिला मंडल ने पहली बार कांवड़ यात्रा निकाली, जो शिवमंदिर हर्षवर्धन नगर से होते हुए श्री बजरंग मंदिर पम्पापुर पहुंची. यहां महिलाओं ने आचार्य लोकेश शर्मा के सान्निध्य में नर्मदा जल से भगवान शिव अभिषेक और पूजा-अर्चना की. महिला मंडल की सदस्य इन्द्राणी दत्ता ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाना तथा महिलाओं को आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से जोड़ना है.

न्यू संजीवनी अस्पताल को किया बंद

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 14 अगस्त. न्यू संजीवनी अस्पताल के अवैधानिक रूप से चल रहे संचालन को लेकर शुक्रवार को सीएमएचओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर क्लीनिक को बंद करवा दिया.

बता दें अशोका गार्डन स्थित इस अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान न तो अस्पताल संचालक मिले और न हीं नर्सिंग स्टॉफ मिला. इतना ही नहीं अस्पताल प्रबंधन के पास नर्सिंग अस्पताल का पंजीयन तक उपलब्ध नहीं था. वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालक डॉ पवन सिंह से फोन पर पूछताछ करने पर पता चला कि वे हमीदिया अस्पताल में ड्यूटी पर हैं।

जिसके बाद टीम द्वारा अस्पताल स्टाफ की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच कर पंचनामा तैयार किया गया. जानकारी के अनुसार निरीक्षण के समय अस्पताल में 10 बेड लगे थे. साथ ही लेबर रूम , माइनर ओ टी, आईसीयू भी मिला. अस्पताल में कार्डियक मॉनिटर, एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटी एमिटिक, एंटीबायोटिक, आई वी फ्लूड, न्यूट्रीशनल हेल्थ सीरप, माइनर ओ टी प्रोसीजर उपकरण और इंजेक्शन पाए गए।

मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनीष शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अनुमति के विपरीत या बिना सक्षम अनुमति के निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन अवैधानिक है। साथ ही बिना सक्षम अनुमति चिकित्सा व्यवसाय करने पर विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस, नगर निगम, औषधि प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सूचना दी जा रही है .

E-mail id-mobhopal@gmail.com

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल

क्रमांक 745/ खनिज / 2026

भोपाल, दिनांक 23/07/2026

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (जो भी लागू हो) प्राप्त करने के लिए,

प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि आनंद मीना पता-म.नं. फ्लेट नं. 801, माता मंदिर जिला भोपाल म.प्र. द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12 .07 .2026 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशन दिनातक से 30 दिवस तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाने हेतु आवेदन ई-खनिज 2.0 पोर्टल https://mines.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायगे हैं।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय / निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
भोपाल	हुजूर	राजीव नगर	82	3.900 हेक्ट	शासकीय	मुरुम	

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 05 :30 बजे तक) आँऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो पुनः 15 दिवरा की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत रवीकृति पर विचार किया जा सकेगा ।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी (खनिज)
जिला भोपाल, म.प्र.

G17101/26

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल-462003

Your host in the heart of India
www.mpstdc.com

फोन : +91-755-4027100, 2774340, 42, Website : www.mpstdc.com

क्रमांक : 380/यांत्रिकी/पविनि/26

दिनांक : 14.08.2026

निविदा सूचना

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रपत्र APPENDIX 2.10 पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.	नि.सू. क्र./सिस्टम आई.डी./कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि रुपये लाख में
1.	290/2026_STDC_529942_1/श्री शारदा माता मंदिर पतलोनी तेजगढ़ जिला दमोह के समीप पर्यटक सुविधाओं का विकास कार्य, आंतरिक एवं बाहरी विद्युतीकरण सहित। (कार्यपूर्णता का समय 12 माह)।	250.24
2.	291/2026_STDC_529943_1/मझौली जिला जबलपुर स्थित कटाव धाम में सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य, आंतरिक विद्युतीकरण सहित। (कार्यपूर्णता का समय 12 माह)।	200.66
3.	292/2026_STDC_529944_1/हनुमान ताल जबलपुर में पर्यटक सुविधा हेतु सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य, आंतरिक विद्युतीकरण सहित। (कार्यपूर्णता का समय 10 माह)।	125.86
4.	293/2026_STDC_529945_1/नगर सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में धूनीवाले दादा जी मंदिर परिसर में विकास कार्य, आंतरिक विद्युतीकरण सहित। (कार्यपूर्णता का समय 08 माह)।	83.94

वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 01.09.2026 समय सायं 05:00 बजे तक** निर्धारित है। कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर **दिनांक 17.08.2026** से देखा जा सकता है।

म.प्र. माध्यम/127579/2026

कार्यपालन यंत्री

सुहानी का विधायक खत्री ने किया सम्मान

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 14 अगस्त. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुनगा में अध्यापन करने वाली सुहानी कुशवाह पुत्री मलखान सिंह कुशवाह का चयन एयरफोर्स के लिए हुआ है. शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक विष्णुखत्री, एसडीएम शिवांगी बघेल और भाजपा नेता सरल भार्गव, जनपद सदस्य प्रतिनिधि घनश्याम शर्मा सहित प्राचार्य कीर्ति नंदनी सक्सेना ओर उनके स्टॉफ ने सुहानी को सम्मानित किया.

अब हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो

भोपाल, 14 अगस्त. भोपाल मेट्रो की नई समय-सारणी 17 अगस्त से लागू होने जा रही है. यात्रियों की सुविधा और प्रतीक्षा अवधि कम करने के उद्देश्य से मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संचालन में बदलाव किया है. नई समय-सारणी के अनुसार अब यात्रियों को हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी. इससे खासकर व्यस्त समय में यात्रियों को स्टेशन पर अधिक देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

आयुक्त सिंह ने किया स्कूलों का निरीक्षण

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 14 अगस्त. मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शुक्रवार 14 अगस्त को लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने बैरसिया विकासखंड के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने ग्राम सोहाया स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और बैरसिया के सांदीपनि स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण में जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य साथ रहे. वही सांदीपनि विद्यालय में डीपीआई आयुक्त सिंह ने मध्यान्ह भोजन को चखकर गुणवत्ता देखी. उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा भी की.

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सार्वजनिक सूचना

ट्रेडमार्क और पेटेंट एजेंट परीक्षा-2027

ट्रेडमार्कनियम, 2017 केनियम 144, पेटेंट्स एक्ट, 1970 (संशोधित) की धारा 126 और पेटेंट नियम, 2003 (संशोधित) केनियम 110 केतहत कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न के कार्यालय केसमक्ष प्रैक्टिस करने केलिए ऊपर बताई गई परीक्षा केलिए पंजीकरण की प्रक्रिया **30 सितंबर, 2026 (रात 11:59 बजे)** तक जारी रहेगी।

ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.ipindia.gov.in देखें।

CBC 05202/11/0001/2627

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित फोटोग्राफी शेड को फोटोकॉपी कार्य के संचालन हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक संस्थायें / व्यक्तियों / कंपनियां अपनी निविदा दिनांक 31.08.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 01.09.2026 को सायं 05 :00 बजे विभागीय समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाइट https://bhopal. dcourts. gov.in एवं https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रलेख एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

G17080/26

कार्यालय नगर पालिक निगम, देवास (म.प्र.)

क्रमांक /114/ HEALTH / 2026

देवास दिनांक 11/08/2026

/ / षष्ठम निविदा आमंत्रण सूचना / /

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_528863_1 11/08/2026	देवास निगम सीमा क्षेत्र के आवारा श्वानों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए एक वर्ष के लिये गैर सरकारी संगठनों / पशु कल्याण संगठनो जो कि एनिमल वेलफेयर बार्ड ऑफ इण्डिया से पंजीबद्ध हो हेतु षष्ठम ऑनलाईन निविदा प्रपत्र।	12 माह 50,00,000/-	10,000/- 1,50,000/-	01/09/2026 06.00 PM

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम देवास

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	23943639	होम लोन	25-Jul-2026	18,04,757.07/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. सैयद रशीद हुसैन 2. मरियम हुसैन

संपत्ति का पताः वह पूरी प्रॉपर्टी जिसमें रिहायशी मकान नंबर 18 शामिल है, जो लैंड सर्वे नंबर 107 का हिस्सा है और बाग रिसालदार कॉलोनी, म्युनिसिपल वार्ड नंबर 16, छोला रोड पर स्थित है; इसका प्लॉट एरिया 900 वर्ग फुट है और यह तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल, मध्य प्रदेश - 462001 में है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः प्लॉट नंबर 19, पश्चिमः प्लॉट नंबर 17, उत्तरः 25 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः दूसरी प्रॉपर्टी।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 15.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

ADITYA BIRLA CAPITAL

LOANS INVESTMENTS INSURANCE PAYMENTS

आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्या.: इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266। शाखा का पताः प्लॉट नं.-17, विजया बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

सरफेसी अधिनियम - 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया है और आप ही ऋण समझौते के लिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वगीर्कृत किया गया है। हम, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(13) के तहत आपके द्वारा दिए गए पते पर मांग नोटिस जारी किया है। उक्त नोटिस में यह कहा गया है कि आपने आपको स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की है। इसलिए, SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार नोटिस तामील करने के लिए यह प्रकाशन किया गया है।

ऋण खाता संख्या/ खाताधारक/धारकों, सह-ऋणधारक/धारकों और गारंटर/गारंटरों का नाम और पता	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार देय राशि
ऋण खाता क्रमांक ABBHOLAP000000589382 1. मैसर्स खुशी ढाबा, (उधारकर्ता) अपने मालिक स्वर्गीय रूप सिंह ठाकुर (मृतक के बाद से), न्यू बाईपास, खजूरी के माध्यम से खाला, रायसेन रोड, भोपाल, (म.प्र.)-462022। इसके अलावाः- केएच नं. 7/3, 8/1/1के/3 की वाणिज्यिक संपत्ति, (कंप्यूटर रिकॉर्ड) केएच नं. 7/3/3 /1, वार्ड नं.61, पीएच नं., 31/19, ग्राम खजूरी खुर्द, तहसील हुजूर, जिला। भोपाल (एमपी)-462026। 2. मैसर्स खुशी मैरिज गार्डन, (सह-उधारकर्ता), अपनी मालिक शीला बाई, न्यू बाईपास, खजूरी खाला के माध्यम से, रायसेन रोड, भोपाल, एमपी)-462022 इसके अलावाः- केएच नंबर 7/3, 8/1/1के/3 की वाणिज्यिक संपत्ति, कंप्यूटर रिकॉर्ड केएच नंबर 7/3/3/1, वार्ड नंबर 61, पीएच नं., 31/19, ग्राम खजूरी खुर्द, तहसील हुजूर, जिला। भोपाल (एमपी)-462026। 3. स्वर्गीय रूप सिंह ठाकुर (मृत्यु के बाद से), (सह-उधारकर्ता) ने अपने कानूनी उत्तराधिकारियों श्रीमती शीला बाई के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया, श्री मान सिंह, श्रीमती फूलवती बाई, 11, खुशी रेस्टोरेंट के पास, खजूरी खुर्द, रायसेन रोड, भोपाल, म.प्र.-462022. इसके अलावाः- केएच नंबर 7/3, 8/1/1के/3 की वाणिज्यिक संपत्ति, (कंप्यूटर रिकॉर्ड केएच नंबर 7/3/3/1), वार्ड नंबर 61, पीएच नंबर, 31/19, ग्राम खजूरी खुर्द, तहसील हुजूर, जिला। भोपाल (एमपी)-462026। 4. श्रीमती शीला बाई, (सह-उधारकर्ता) 11, खुशी रेस्टोरेंट के पास, खजूरी खुर्द, रायसेन रोड, भोपाल, म.प्र.-462022. इसके अलावाः- केएच नंबर 7/3, 8/1/1के/3, (कंप्यूटर रिकॉर्ड केएच नंबर 7/3/3/1), वार्ड की वाणिज्यिक संपत्ति नंबर 61, पीएच नंबर, 31/19, ग्राम खजूरी खुर्द, तहसील हुजूर, जिला। भोपाल (एमपी)-462026। 5. श्रीमान. मान सिंह, स्वर्गीय रूप सिंह ठाकुर के कानूनी उत्तराधिकारी, न्यू बायपास, खजूरी खाला, रायसेन रोड, भोपाल, एमपी-462022. इसके अलावाः- केएच नंबर 7/3, 8/1/1के/3, कंप्यूटर रिकॉर्ड केएच नं.7/3/3/1, वार्ड की वाणिज्यिक संपत्ति नं. 61, पीएच नं., 31/19, ग्राम खजूरी खुर्द, तहसील हुजूर, जिला। भोपाल (एमपी)-462026 6. श्रीमती फूलवती बाई, स्वर्गीय रूप सिंह ठाकुर के कानूनी उत्तराधिकारी, न्यू बायपास, खजूरी खाला, रायसेन रोड, भोपाल, (एमपी)-462022. इसके अलावाः- केएच नंबर 7/3, 8/1/1के/3, (कंप्यूटर रिकॉर्ड केएच नंबर 7/3/3/1), वार्ड नंबर की वाणिज्यिक संपत्ति 61, पीएच नंबर, 31/19, ग्राम खजूरी खुर्द, तहसील हुजूर, जिला। भोपाल (म.प्र.)-462026. ....(इसके बाद सामूहिक रूप से 'उधारकर्ता/ओं, गारंटर/ओं, गिरवीकर्ता/ओं' के रूप में संदर्भित)	07.07.2026 और NPA की तारीख 13 जून 2025	रू. 1,07,16,987.29/- (एक करोड़ सात लाख सोलह हजार नौ सौ सत्तासी और उनतीस पैसे मात्र) 02.07.2026 को

अचल संपत्ति का विवरण - वह संपत्ति जिसका विवरण इस प्रकार हैः "एक कमर्शियल प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग फुट या 1858.73 वर्ग मीटर है। यह प्लॉट गाँव खजुरी खुर्द P.H. No. 31/19, म्युनिसिपल वार्ड नंबर 61, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल में स्थित है। यह जमीन रेवेन्यू सर्वे नंबर 7/3, 8/1/1'/3 (कंप्यूटराइज्ड खसरा नंबर 7/3/3/1 के अनुसार) पर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व मेंः प्लॉट नंबर 88; उत्तर मेंः कच्चा रोड और श्री रंजीत ठाकुर (महफि ल रेस्टोरेंट) की जमीन; पश्चिम मेंः श्री रूप सिंह की जमीन; दक्षिण मेंः श्री महेंद्र सिंह (अतिथि ढाबा) की जमीन।"

आपको इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को उपर्युक्त राशि ब्याज और लागत सहित भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगी, जिसमें उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार की सभी या एक या अधिक गिरवी संपत्तियों पर कब्जा करना भी शामिल है।

उक्त अधिनियम के तहत आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को प्राप्त शक्तियों में शामिल हैं: (1) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार की गिरवी संपत्तियों पर कब्जा करने की शक्ति, जिसमें गिरवी संपत्तियों को मुक्त करने के लिए पट्टे, आवंटन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है। (2) गिरवी संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना, जिसमें पट्टे, आवंटन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है, और गिरवी संपत्तियों को वसूल करना।

आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड द्वारा गिरवी संपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण, गिरवी संपत्तियों के संबंध में सभी अधिकारों और संबंधों में निहित होगा, मानो हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया हो। उक्त अधिनियम की धारा 13/13 के प्रावधानों के अनुसार, आपको आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से (आपके व्यवसाय के सामान्य संचालन के अलावा) आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को गिरवी रखी गई किसी भी सुरक्षित संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांकः 15.08.2026, स्थानः भोपाल

अधिकृत अधिकारी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के